इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2011—वैशाख 9, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग 'कार्मिक'
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. ई-1-95-2011-5-एक.—श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे (1989), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, एड्स मध्यप्रदेश भोपाल दिनांक 29 मार्च 2011 से 2 अप्रैल 2011 तक अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उक्त अवधि में डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे (1993), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, एड्स मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. ई. 5-4-1-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री सुदेश कुमार, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 4 से 18 मार्च 2011 तक, पन्द्रह दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 से 26 मार्च 2011 तक, आठ दिन का लघुकृत अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मार्च 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. ई-5-725-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. एम. गीता, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 11 से 20 अप्रैल 2011 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्री रवीन्द्र सिंह, राप्रसे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. एम. गीता द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-1-86-2011-5-एक.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 1998 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2011 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री आकाश त्रिपाठी	कलेक्टर, ग्वालियर
2	श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता	कलेक्टर, गुना
3	श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव	कलेक्टर, भोपाल
4	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	कलेक्टर, रतलाम
5	श्री महेन्द्र ज्ञानी	कलेक्टर, मंदसौर
6	श्रीमती पुष्पलता सिंह	कलेक्टर, देवास
7	श्री एस. एस. बंसल	अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग
8	श्री गणेश प्रसाद कबीरपंथी	उपसचिव, श्रम विभाग
9	श्रीमती उर्मिल मिश्रा	अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग.

(2) श्री गणेश प्रसाद कबीरपंथी को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 13 से 30 अप्रैल 2011 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 अप्रैल एवं 1 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में श्री अरूण कोचर, आयएएस., आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश तथा संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कोचर, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-327-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक दास, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग को दिनांक 11 से 15 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 अप्रैल 2011 एवं 16, 17 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक दास की अवकाश की अवधि में श्री एम. के. राय, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक दास द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राय, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-296-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग एवं ट्रस्टी सचिव, भारत भवन को दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 10 मई 2011 तक, तेईस दिन का एक्स इंडिया असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है. इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग एवं ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-839-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू पंत, आयएएस., कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 15 से 23 अप्रैल 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 अप्रैल 2011 एवं 24 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती रेनू पंत की अवकाश की अवधि में श्री रमेश भंडारी, राप्रसे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुहरानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू पंत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती रेनू पंत द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रमेश भंडारी, कलेक्टर जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू पंत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-42-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस., महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 4 मई 2011 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-328-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएएस, वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 16 मई से 20 मई 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-782-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत कुमार व्यास, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 25 अप्रैल 2011 से 13 मई 2011 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 14 अप्रैल 2011

क्र. ई-1-108-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, (1995), कलेक्टर, सागर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का अतिरिक्त प्रभार.
2	श्री शिवानन्द दुबे (1996) संचालक, कौशल विकास, जबलपुर.	कलेक्टर, दमोह
3	डॉ. ई. रमेश कुमार (1999), कलेक्टर, छतरपुर.	कलेक्टर, सागर
4	श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000), कलेक्टर, नरसिंहपुर.	कलेक्टर, बालाघाट
5	श्री एस.पी. एस. सलूजा (2000), कलेक्टर, दमोह.	संचालक, कौशल विकास, जबलपुर.
6	डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001), कलेक्टर, बालाघाट.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री राहुल जैन (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), श्योपुर.	कलेक्टर, छतरपुर
8	श्री संजीव सिंह (2005), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	कलेक्टर, नरसिंहपुर

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. ई-1-110-2011-5-एक.—श्री जे. एन. मालपानी, भाप्रसे (1994), सचिव, राज्यपाल मध्यप्रदेश के दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 10 जून 2011 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में भाग लेने के फलस्वरूप उनकी उक्त प्रशिक्षण अवधि में सचिव, राज्यपाल मध्यप्रदेश के पद का प्रभार डॉ. जी. के. सारस्वत, भाप्रसे (1996), अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2011

क्र. ई-1-111-2011-5-एक.—श्री आर. परशुराम (भाप्रसे) (1978) वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण

तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पदस्थ किया जाता है साथ ही उन्हें पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आर. परशुराम द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) श्री अजय तिर्की, भाप्रसे (1987), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-432-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे (1981) को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई-1-111-2011-5-एक-**शुद्धि-पत्र**.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2011 के पद-1 जिसके द्वारा श्री आर. परशुराम, भाप्रसे, (1978), वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पदस्थ किया गया है तथा उन्हें पदेन अपर मुख्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अब उक्त आदेश में पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ सामाजिक न्याय विभाग का प्रभार भी सौंपा जाना पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-524-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को दिनांक 1 से 31 मई 2011 तक, इकतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय कुमार सिंह द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-781-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएएस., सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 6 से 20 मई 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती हैं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 30 मई 2011 से 10 जून 2011 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 मई 2011 एवं 11, 12 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्रीमती अरुणा शर्मा, आयएएस., वि.क.अ., म.प्र. मंत्रालय तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरुणा शर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 9 से 13 मई 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 मई 2011 एवं 14, 15 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-844-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए.के. सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला अशोकनगर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 14 से 26 फरवरी 2011 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 14 से 22 फरवरी 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जनवरी 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस, अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को निम्नानुसार अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 14 से 16 जनवरी 2011 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश.
2. दिनांक 17 जनवरी से 17 फरवरी 2011 तक बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2011

क्र. एफ 2-12-2008-43.—बीस सूत्र विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा राज्यस्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकाल में 31 दिसम्बर 2010 तक की वृद्धि की गई थी.

उपरोक्त अनुक्रम में राज्य शासन इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-1-2011-तेईस-योआसां. द्वारा उक्त समिति के कार्यकाल आगामी 6 माह (दिनांक 30 जून 2011) तक की और वृद्धि की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

क्र. एफ 2(8)-06-तिरतालीस-बीस सूत्र.—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 3(क) (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु दो वर्ष की कालावधि के लिए निम्नानुसार एक राज्य स्तरीय समिति गठित करती है :—

1.	मान. मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	मान. मंत्री, 20 सूत्र कार्यान्वय विभाग	उपाध्यक्ष
3.	श्री पूरन सिंह पलैया (अ.जा.), जिला ग्वालियर. (निधन 15-12-2008 को हो गया है).	सदस्य
4.	श्री प्यारे सिंह तोमर, जिला मुरैना	सदस्य
5.	श्री मायाराम शर्मा, जिला भिण्ड	सदस्य
6.	श्री मोहन ज्ञानानी, जिला दतिया	सदस्य
7.	श्री बी.के. गुप्ता, करैरा, जिला शिवपुरी	सदस्य
8.	श्रीमती विजया शुक्ला, जिला अशोकनगर	सदस्य
9.	श्री श्यामलाल अग्रवाल, रूठियाई, जिला गुना.	सदस्य
10.	श्री रामविलास रावत, ग्राम-नागरगावड़ा, जिला श्योपुर.	सदस्य
11.	श्री परसराम साहू, जिला सागर	सदस्य
12.	श्री उमेश शर्मा, जिला पन्ना	सदस्य
13.	श्री मनिशंकर सुमन (अ.जा.), जिला दमोह.	सदस्य
14.	श्री मदनलाल गोयल, पूर्व विधायक, जिला टीकमगढ़.	सदस्य
15.	श्री प्रणलाल अहिरवार (अ.जा.), जिला छतरपुर.	सदस्य
16.	श्री केशव पाण्डे, पदमधर कॉलोनी, जिला रीवा.	सदस्य
17.	श्री रामहित गुप्ता, भरहुत नगर, जिला सतना.	सदस्य
18.	श्री मोतीलाल पटेल, शास्त्रीनगर, जिला सीधी.	सदस्य
19.	श्री गुलाबचंद रिछारिया (अ.जा.), जिला शहडोल.	सदस्य
20.	श्री सुरेश अवधिया, पाली जिला उमरिया	सदस्य
21.	श्री दिलीप जायसवाल, बिजुरी, जिला अनूपपुर.	सदस्य
22.	श्री फूलसिंह उईके (अ.ज.जा.), मु.पो. कुंडम, जिला जबलपुर.	सदस्य
23.	श्री रामचन्द्र तिवारी , जिला कटनी	सदस्य
24.	श्री विजय झांझरी, जिला छिन्दवाड़ा	सदस्य
25.	श्रीमती गोमती ठाकुर, जिला सिवनी	सदस्य
26.	श्री उमेश देशमुख बैहर, जिला बालाघाट	सदस्य
27.	श्री उत्तमचन्द लुणावत, करैली जिला नरसिंहपुर.	सदस्य
28.	श्री कृष्णकुमार गुप्ता, विक्रमपुरी, जिला डिण्डोरी.	सदस्य
29.	श्री रामेश्वर शर्मा, जिला भोपाल	सदस्य
30.	श्री संतोष पारिख, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद.	सदस्य
31.	श्रीमती सुशीलारानी मौर्य, जिला हरदा	सदस्य
32.	श्री दिलीप इवने (अ.ज.जा.) जिला बैतूल.	सदस्य
33.	श्री बालकृष्ण नामदेव, जिला सीहोर	सदस्य
34.	श्री कृष्णमोहन शर्मा, लटेरी, जिला विदिशा	सदस्य
35.	श्री रोडमल नामग, पचौर, जिला राजगढ़	सदस्य
36.	श्री हरिनारायण सक्सेना, जिला रायसेन	सदस्य
37.	श्री कैलाश पाटीदार, जिला इन्दौर	सदस्य
38.	श्री बालकृष्ण पाटीदार, टेमला, जिला खरगौन.	सदस्य
39.	श्रीमती कृष्णा पालीवाल, सेंधवा, जिला बड़वानी.	सदस्य
40.	श्री रमेश धारीवाल, जिला धार	सदस्य
41.	श्री रामलाल डाबर (अ.ज.जा.), जिला झाबुआ.	सदस्य
42.	श्री ताराचन्द्र पटेल, जिला खण्डवा	सदस्य
43.	श्री गनसिंह (अ.ज.जा.), जिला बुरहानपुर	सदस्य
44.	श्री तेजबहादुर सिंह चौहान, नागदा, जिला उज्जैन.	सदस्य

45.	सुश्री उषा चौहान, जिला रतलाम	सदस्य
46.	श्री मानसिंह माच्छेपुरिया, जिला मंदसौर	सदस्य
47.	श्री खुमान सिंह, शिवाजी, जिला नीमच	सदस्य
48.	श्री अजय सिंह बघेल, जिला देवास	सदस्य
49.	श्री गोपाल परमार (अ.जा.), जिला शाजापुर	सदस्य

विभगा के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव इस समिति के सचिव होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. अहिरवार , उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. एफ. 03-05-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इन्दौर संभाग

1	श्री बृजेन्द्र कोरी	जिला आबकारी अधिकारी

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-04-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—पुलिस शाखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इन्दौर संभाग

1	सुश्री चैत्रा एन	पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)

ग्वालियर संभाग

2	श्री वैभव श्रीवास्तव	उप पुलिस अधीक्षक
3	कु. प्रतिभा त्रिपाठी	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. एफ. 03-13-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

होशंगाबाद संभाग

1	श्री भरत लाल वरकड़े	हाउस मास्टर
2	श्री नर्मदा प्रसाद	मैट्रन

जबलपुर संभाग

3	श्री अनुज कुमार शर्मा	हाउस मास्टर

भोपाल संभाग

4	श्री अजय कुमार भुजिया	मैट्रन

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-06-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्रीमती दमयंती निराला (सश्रेय).	सहायक संचालक (उद्योग)

क्र. एफ. 03-9-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न

हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	ग्वालियर संभाग	
1	कु. प्रतिभा त्रिपाठी	उप पुलिस अधीक्षक
2	श्री वैभव श्रीवास्तव	उप पुलिस अधीक्षक
	जबलपुर संभाग	
3	श्री सचिन कुमार अतुलकर	पुलिस अधीक्षक

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-08-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित-केवल नियम एवं अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्रीमती दमयंती निराला	सहायक संचालक (उद्योग)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-15-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर (सश्रेय)	
	ग्वालियर संभाग	
1	श्री सावन सिंह चौहान	सहायक भौमिकी विद्
	सागर संभाग	
2	श्री कॉसमॉस केरकेट्टा	खनिज अधिकारी

क्र. एफ. 03-16-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—न्यायिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	इन्दौर संभाग	
1	डॉ. नीरज चौरसिया	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. एफ. 03-18-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	उज्जैन संभाग	
1	श्री अरुण कुमार राठौर	सहायक संचालक

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-17-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्य के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्रीमती दमयंती निराला	सहायक संचालक (उद्योग)

क्र. एफ. 03-19-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र—स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी,

में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री कुलभुषण बिलबाल	मैट्रन
2	श्री नजीर अली	हाउस मास्टर
	जबलपुर संभाग	
3	श्री मुक्ता अवस्थी	हाउस मास्टर
	भोपाल संभाग	
4	श्री अजय कुमार भुजियां	मैट्रन
	होशंगाबाद संभाग	
5	श्री नर्मदा प्रसाद	मैट्रन
6	श्री भरत लाल बरकड़े	हाउस मास्टर

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2011

शुद्धि पत्र

क्र. एफ. 03-65-2010-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक शुद्धि-पत्र, दिनांक 7 फरवरी 2011 के तारतम्य में आंशिक संशोधन उपरांत वन विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्न-पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) के स्थान पर खनिज साधन विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 1(बी)73-04-बी-4-दो.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 सितम्बर 2010 द्वारा जिसके तहत कु. लहर गुप्ता, का नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, नियुक्ति आदेश कु. लहर गुप्ता को प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा नियुक्ति आदेश उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया. आदेश 06 माह से ज्यादा अवधि होने के कारण, राज्य शासन एतद्द्वारा निरस्त करता है.

2. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600—39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यार्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	03	कु. लहर गुप्ता पुत्री श्री डी.के. गुप्ता, 15 कीर्ति नगर, आधारताल, जबलपुर.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ''संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण'' प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी.

3. नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक ''बॉण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए अत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

8. नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

क्र. एफ. 1(बी)154-10-बी-4-दो.—राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600—39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	01	श्री अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा श्री दशरथ सिंह ठाकुर, गली नं. 4 पंचशील नगर सिविल लाईन, दतिया.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ''संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण'' प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

3. नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक ''बॉण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए अत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

8. नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17 (ई) 67-2008-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आमोद आर्य, सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 वर्तमान में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बैरसिया, जिला भोपाल की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 12-6-11-बत्तीस.—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रमांक 25509/2009 अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 6 अप्रैल 2011 को पारित आदेश के पालन में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क(2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी भूमि उपयोग उपांतरण की प्रारंभिक सूचना क्रमांक एफ-3-58-2008-32, दिनांक 6 जून 2008 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-3-58-2008-32, दिनांक 5 सितम्बर 2008 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. एफ-12-6-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ''ख''! के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक एफ-12-6-11-32, दिनांक 21 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 21st April 2011

No F-12-6-2011-XXXII.—In compliance with the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi on 6th April 2011 in SLP No. 25509/2009 Akhil Bhartiya Upbhokta Congress Versus State of Madhya Pradesh, the State Government exercising the powers of Section 23(A) (2) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 hereby cancels the preliminary notice No. F-3-58-2008-XXXII, dated 6th June 2008 & final notification No. F-3-58-2008-XXXII, dated 5th September 2008 by which the land use was changed by the State Government.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनिमय, 1951 की धारा 7(1)/7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 6,60,00,000 (रुपये छैः करोड़ साठ लाख) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:—

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि	10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति	कुल प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	क्र./359/382/चार/91/नि-3/, दिनांक 2-2-1991	11.5%	ऋण पत्र	13-2-2011	6,00,00,000	60.00 लाख	6,60,00,000

क्र. एफ. 2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनिमय, 1951 की धारा 7(1)/7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 15.00 करोड़ (रुपये पन्द्रह करोड़) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:—

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एफ./2-01/05/ई/चार/दिनांक 17-5-2005.	7.50%	ऋण पत्र	17-3-2013	15.00 करोड़

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. पुरोहित, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2011

ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत्

क्र. सह.अधि.-2010-स्था.-80.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 23 मई 2011 से 17 जून 2011 तक में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 23 मई 2011 से 6 जून 2011 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा मध्यप्रदेश

राजभवन भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2011

आदेश

क्र. एफ-1-3-2010-रास-यूए-1-540.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा एतद्द्वारा प्रो. रहस्यमणि मिश्रा, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलाजी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का कुलपति नियुक्त करता हूं.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

3. यह आदेश दिनांक 21 जून 2011 से प्रभावशील होगा.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. 4070-एस.डब्ल्यू.-2011.—मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला कटनी (म. प्र.) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अन्तर्गत कि. मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप, प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से, भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो.या. नियम 1994 के नियम 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चून/अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 12.00 से 01.00 बजे तक कटनी नदी पुल से प्रवेश कर सकेगी तथा प्रात: 04.00 से 05.00 बजे शहर से बाहर निकलेगी. कटनी शहर के अन्दर नहीं आने वाले वाहन बायपास से जायेंगे. यात्री/स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. 16-1-स्था.-2005-2050.—विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 जून 2005 द्वारा प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के लिये निम्नानुसार अधिकारियों को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित (Designate) किया जाता है:—

स. क्र.	अधिकारी का पदनाम	के रूप में नामांकित
(1)	(2)	(3)
1	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
2	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी

अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु अपील प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे.

सहायक लोक सूचना अधिकारी इस संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राप्त कर कम्प्यूटर में पंजीबद्ध कराएंगे तथा साप्ताहिक समीक्षा के लिये प्रस्तुत करेंगे.

प्रेम चन्द मीना, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 7 मार्च 2011

क्र. 869-एस.डब्ल्यू-2010.—पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ-देवास-रीडर-1605-2010, दिनांक 30 नवम्बर 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों का परिसीमन बावत् जन-सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर

गठित समिति द्वारा थानों/चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)15-99-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है.

अत:, मैं, पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग देवास के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं:—

क्र. (1)	कालोनी/मोहल्ला (2)	वर्तमान थाना (3)	दूरी दिशा कि.मी. (4)	प्रस्तावित थाना (5)	दिशा व दूरी कि.मी. (6)
1	गंगानगर	कोतवाली	दक्षिण-4	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-2
	फौजीनगर	कोतवाली	दक्षिण-5	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-2
	जयबजरंग नगर	कोतवाली	दक्षिण-4	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-3
2	गोमती नगर	कोतवाली	दक्षिण-4	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-3
	बद्रीधाम नगर	कोतवाली	दक्षिण-4	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-3
	अग्रवाल नगर	कोतवाली	दक्षिण-4	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-3
3	राजाराम नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-5	कोतवाली	पश्चिम-3
	नेहरू नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-5	कोतवाली	पश्चिम-4
	सीताराम नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-6	कोतवाली	पश्चिम-4
	गोपाल नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	निमाड नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	ईटावा	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	राजू नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	त्रिलोक नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	सिद्धार्थ नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	अर्जुन नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	महादेव नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	उत्तम नगर	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
	पुष्पकुज कालोनी	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण-7	कोतवाली	पश्चिम-4
4	सीगावंदा	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-13	बीएनपी	पश्चिम-12
	अचलूखेडी	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-16	बीएनपी	पश्चिम-13
	मुगावंदा	औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर-15	बीएनपी	पश्चिम-11
5	बैरागढ़	बीएनपी	पश्चिम-20	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-16
	हिरली	बीएनपी	पश्चिम-25	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-20
	आंट	बीएनपी	पश्चिम-24	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-19
	अंतरालिया	बीएनपी	पश्चिम-25	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-20
	पंचतालाब	बीएनपी	पश्चिम-25	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-20
	बाडोली	बीएनपी	पश्चिम-20	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-16
	देवर	बीएनपी	पश्चिम-26	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-20
	सिरोज	बीएनपी	पश्चिम-27	औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम-1
6	लेबर कालोनी	औद्योगिक क्षेत्र	पूर्व-5	कोतवाली	दक्षिण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	भोपाल चौराहा से राधागंज, राधागंज रोड के दाहिने तरफ का भाग.	कोतवाली	उत्तर-3	बीएनपी	दक्षिण-2
	विश्राम बाग	कोतवाली	उत्तर-3	बीएनपी	दक्षिण-2
	रामरहिम नगर	कोतवाली	उत्तर-3	बीएनपी	दक्षिण-2
	अर्जुन नगर	कोतवाली	उत्तर-3	बीएनपी	दक्षिण-2
	मधुवन कालोनी	कोतवाली	उत्तर-3	बीएनपी	दक्षिण-2
	चामुण्डापुरी	कोतवाली	उत्तर-3	बीएनपी	दक्षिण-2
	अनाज मण्डी	कोतवाली	उत्तर-4	बीएनपी	दक्षिण-1
	पैलेस	कोतवाली	उत्तर-3	बीएनपी	दक्षिण-1-1/2
	विवेक नगर	कोतवाली	उत्तर-4	बीएनपी	दक्षिण-1
	बजरंग नगर	कोतवाली	उत्तर-4	बीएनपी	दक्षिण-1
8	भोपाल चोराहा से नाहर दरवाजा, पठानकुआं रोड.	कोतवाली	पूर्व-2	-	-
	के. पी. कालेज	कोतवाली	पूर्व-2	बीएनपी	दक्षिण-2
	सर्किट हाउस	कोतवाली	पूर्व-3	बीएनपी	दक्षिण-3
	जयशिव कालोनी	कोतवाली	पूर्व-4	बीएनपी	दक्षिण-3
	मीठा तालाब	कोतवाली	पूर्व-3	बीएनपी	दक्षिण-3
	रेवाबाग	कोतवाली	पूर्व-3	बीएनपी	दक्षिण-3
	नुसरत नगर कालोनी	कोतवाली	पूर्व-4	बीएनपी	दक्षिण-4
	राजोदा रोड	कोतवाली	पूर्व-7	बीएनपी	दक्षिण-7
	वृद्धाश्रम	कोतवाली	पूर्व-3	बीएनपी	दक्षिण-3
	गोविन्द नगर	कोतवाली	पूर्व-3	बीएनपी	दक्षिण-3
	बीसीएम स्कूल	कोतवाली	पूर्व-4	बीएनपी	दक्षिण-4

क्र.	थाना	सड़क मार्ग	रेल मार्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कोतवाली	उज्जैन रोड इटावा बायपास तक	चाणक्यपुरी क्रासिंग से महाकाल कालोनी क्रासिंग तक.
2	कोतवाली	भोपाल रोड-सर्किट हाउस तिराहा से इन्दौर रोड कैलादेवी क्रासिंग रोड तक कोतवाली में रहेगा.	
3	कोतवाली	भोपाल चौराहा से पठानकुरा तक का रोड कोतवाली में रहेगा. रोड के बांये तरफ कालोनी का भाग बीएनपी में रहेगा.	
4	कोतवाली	उज्जैन तिराहा से ईटावा बायपास तक उज्जैन रोड कोतवाली में रहेगा.	
5	बीएनपी	ए. बी. रोड बीएनपी थाना से भोपाल चौराहा एवं थाना टोक सीमा तक बीएनपी में रहेगा.	महाकाल क्रासिंग से महाकाल कालोनी सीमा से उज्जैन जिले की सीमा तक.

(1)	(2)	(3)	(4)
6	बीएनपी	उज्जैन रोड इटावा बायपास से नरवर सीमा तक बीएनपी में रहेगा.	
7	बीएनपी	बायपास इटावा उज्जैन रोड से मक्सी रोड चौराहा भोपाल रोड चौराहा बायपास राजोद रोड क्रासिंग फौजी ढाबा तक पूरा बायपास बीएनपी अन्तर्गत रहेगा.	
8	बीएनपी	भोपाल चौराहा से राजोदा रोड बायपास तक	
9	औद्योगिक क्षेत्र	फौजी ढाबा बायपास रोड से इन्दौर सीमा तक थाना औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा.	रेल्वे मार्ग चाणक्यपुरी रेल्वे क्रासिंग से इन्दौर जिला की सीमा तक रेल्वे मार्ग थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास की सीमा में रहेगा.
10	औद्योगिक क्षेत्र	ए.बी. रोड कैलादेवी मंदिर क्रासिंग से मेढकी रोड तक का रोड औद्योगिक क्षेत्र में होगा तथा ए.बी. रोड कैलादेवी क्रासिंग से शिप्रा सीमा तक थाना औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा.	

क्र. 871-एस.डब्ल्यू-2010.—पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ-देवास-रीडर-1648-2010, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों का परिसीमन बावत् जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों/चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)15-99-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है.

अतः, मैं, पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग सोनकच्छ के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं:—

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वर्तमान थाना (3)	दिशा व दूरी (4)	प्रस्तावित थाना (5)	दूरी दिशा (6)	रिमार्क (7)
1	कुम्हारीयाराव	भौरासा	पूर्व-12 किमी	सोनकच्छ	पश्चिम-5	
2	बीसाखेडी	भौरासा	पूर्व-14 किमी	सोनकच्छ	पश्चिम-7	
3	ढाबला	भौरासा	पूर्व-15 किमी	सोनकच्छ	पश्चिम-8	
4	जनोलीखुर्द	भौरासा	उत्तर-12 किमी	टोकखुर्द	दक्षिण-8	
5	एनाबाद	सोनकच्छ	उत्तर-16 किमी	पीपलरंवा	दक्षिण-4	
6	कालूखेडी	सोनकच्छ	उत्तर-16	पीपलरंवा	दक्षिण-5	
7	विजयागंढ मुरमिया	टोकखुर्द	पूर्व-16	पीपलरंवा	पश्चिम-3	
8	मलेडियां	बरोठा	पूर्व-22	भौंरासा	दक्षिण-8	
9	राउपिपल्या	बीएनपी	पूर्व-18	भौंरासा	दक्षिण-6	
10	आवंलापिपल्या	बीएनपी	पूर्व-17	भौंरासा	दक्षिण-7	

क्र. 873-एस.डब्ल्यू-2010.—पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ-देवास-रीडर-1647-2010, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों का परिसीमन बावत् जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों/चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)15-99-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अत:, मैं, पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग बागली के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं:—

क्र.	ग्राम का नाम	वर्तमान थाना	दिशा व दूरी	कि.मी.	प्रस्तावित थाना	दूरी दिशा	कि.मी.	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
1	घुसठ	बागली	उत्तर	40	हाटपीपल्या	पूर्व	25	
2	भोपापुरा	बागली	उत्तर	50	हाटपीपल्या	पूर्व	25	
3	डोकरखेडा	बागली	उत्तर	45	हाटपीपल्या	पूर्व	25	
4	छीगरखेडा	हाटपीपल्या	पूर्व	17	बागली चौकी कमलापुर	उत्तर	8	
5	महुडिया	हाटपीपल्या	पूर्व	14	बागली चौकी कमलापुर	उत्तर	9	
6	स्यालखेडी	हाटपीपल्या	पूर्व	28	बागली चौकी कमलापुर	उत्तर	10	
7	ग्यारसपुरा	हाटपीपल्या	पूर्व	24	बागली चौकी कमलापुर	उत्तर	12	
8	चापडा	हाटपीपल्या	दक्षिण	9	बागली	उत्तर	7	
9	भमोरी	हाटपीपल्या	दक्षिण	12	बागली	उत्तर	11	
10	बावडी खेडा	उदयनगर	उत्तर पूर्व	38	बागली चौकी कमलापुर	दक्षिण	16	
11	गदिया	उदयनगर	उत्तर पूर्व	40	काटाफोड	पश्चिम	13	
12	रूपलीखेडा	उदयनगर	उत्तर पूर्व	49	काटाफोड	पश्चिम	16	
13	बेरखालिया	उदयनगर	उत्तर पूर्व	38	काटाफोड	पश्चिम	19	
14	पूंजापुरा	उदयनगर	उत्तर	25	बागली	दक्षिण	15	
15	सोबल्यापुरा	उदयनगर	उत्तर	28	बागली	दक्षिण	15	
16	छापर	बरोठा	पश्चिम	30	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण	13	
17	टिगारियागोगा	बरोठा	पश्चिम	32	औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण	18	

क्र. 875-एस.डब्ल्यू-2010.—पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ-देवास-रीडर-1646-2010, दिनांक 4 दिसम्बर 2011 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों का परिसीमन बावत् जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों/चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)15-99-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अत: मैं, पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग कन्नौद के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं:—

क्र.	ग्राम का नाम	वर्तमान थाना	दिशा व दूरी कि.मी. में	प्रस्तावित थाना	दूरी दिशा कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुन्द्रेल	कन्नौद	पश्चिम-23	काटाफोड	उत्तर-13
2	बरबई खेडा	कन्नौद	पूर्व-12	खातेगांव	पश्चिम-10
3	टाकलीखेडा	खातेगांव	पश्चिम-13	कन्नौद	पूर्व-7
4	ओंकारा	खातेगांव	उत्तर-45	कन्नौद	उत्तर-पूर्व 20 किमी.
5	नंदाडाई	खातेगांव	उत्तर-48	कन्नौद	उत्तर पूर्व 22
6	नदोन	खातेगांव	उत्तर-50	कन्नौद	उत्तर पूर्व 20
7	बमनगांव	खातेगांव	पूर्व-22	नेमावर	पश्चिम-20
8	बोरदा	खातेगांव	उत्तर पूर्व कोण-25	नेमावर	उत्तर पश्चिम-20
9	खारदा	खातेगांव	उत्तर पूर्व कोण-28	नेमावर	उत्तर पश्चिम-21
10	पुरा	सतवास	दक्षिण पश्चिम-20	काटाफोड	पूर्व दक्षिण-16

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 655-भू-अर्जन-2011 खरगोन, दिनांक 11 अप्रैल 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 09-अ-82-10-11

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 11 अप्रैल 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम सुलगांव, प.ह.नं. 17, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 78 कुल क्षेत्रफल 12.177 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम सुलगांव

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रमेश पिता मांग्या अ. विक्रम, रेखा गुड्डी पिता भोलू अ.पा.क. भोलू पिता जयराम बीनाबाई पिता मांग्या, झुमका बाई बेवा मांग्या, मानकर नि. ग्रा.	219/2, 222	0.384	नीम-11, नीम पौधे-4, बेर-1.
2	मांग्या पिता दामा, गजानंद, गणेश, जयराम पिता मोतीलाल, अन्नपुर्णा, अनीता पिता मोतीलाल, रेखाबाई बेवा मोतीलाल, मनीष पिता डालूराम, विद्याबाई बेवा डालूराम कुलमी सा. देह.	219/4	0.017	—
3	अनोकचंद, ताराचंद हुकुमचंद, तिलोकचंद पिता ओंकार, गंगाबाई बेवा ओंकार, कुलमी नि. ग्रा.	221	0.591	पाईप लाईन-1, नर्मदा से पियत, आम-2, नीम-1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	कालुसिंह, पुनमसिंह, मदरूपसिंह पिता सिगदार, मांगीबाई, कोशल्याबाई पिता सिगदार, खुमानसिंह, भगवानसिंह, तिलोकसिंह पिता भुक्कण, गयणाबाई बेवा भुक्कण, मनोहर पिता मुनीमसिंह, शिवकुवरबाई बेवा मुनीमसिंह, कमलसिंह पिता दरियावसिंह, सीमाबाई बेवा दरियावसिंह, पर्वतसिंह पिता हिरासिंह राजपुत, नि.ग्रा.	226	0.036	मकान-4
5	मांगीलाल, अमरगीर, बलराम पिता शंकरगीर, धनुबाई, पिता शंकरगीर, समोतिबाई बेवा शंकरगीर घुसाई, नि.ग्रा.	228 229 1	0.040 0.033 0.073	मकान-7
6	सुभाष गिरीश, कैलाश, दिनेश, महेश पिता पंढरीनाथ अ. प्रमोद, गुड्डी, राजेश, सुलभा पिता पंढरीनाथ, अ.पा.क. भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ, भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ ब्राम्हण, नि.ग्रा.	232	0.049	—
7	कैलाश पिता कालू, कुलमी, नि.ग्रा.	235	0.125	पशुशेड-1, मकान-1, स्टार्टर खोली-2, ग्राम पंचायत जलयोजना की स्टार्टर खोली-1.
8	सीताराम, धन्नालाल, पुनमचंद पिता हुकुम, गेदाबाई बेवा हुकुम, बालुराम, मुकेश, कालु, राकेश, संध्या पिता रेवाजी, गीताबाई बेवा रेवाजी कुलमी, नि.ग्रा.	236	0.049	—
9	गणेश, परसराम, विश्राम पिता दयाराम, नंदाबाई बेवा दयाराम कुलमी, नि.ग्रा.	238/1	0.073	—
10	दशरथ, गणपत, रामलाल, भगवान, सीता, जानकी पिता बालू, कस्तुरीबाई बेवा बालू कुलमी, नि.ग्रा.	238/2	0.073	बेर-3, गोन्दी-1, नीम-1
11	जमुनाबाई बेवा गंगाराम, तिलोकचंद पिता गंगाराम कुलमी, नि. ग्रा.	238/3	0.073	नीम-2
12	मांग्या पिता दामा, कुलमी, नि.ग्रा.	239	0.214	पाईप लाईन-1, नदी से पियत, नीम-3, गोन्दी-1.
13	अनोकचंद, ताराचंद, हुकुमचंद तिलोकचंद पिता ओंकार गंगाबाई बेवा ओंकार कुलमी, नि.ग्रा.	240 241/2 1	0.393 0.008 0.401	नीम-7, नीम पौधे-1, बेर-2.
14	रणछोड़ पिता गणपत, बिहारीलाल पिता रणछोड़ कुलमी, सादेह.	242/2 पैकी	0.030	नीम-2, बबूल-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	अनोकचंद, ताराचंद, हुकुमचंद तिलोकचंद पिता ओंकार गंगाबाई बेवा ओंकार कुलमी, नि.ग्रा.	219/3 243	1.191	नीम-50, नीम पौधे-7, जाम-2, नीबू-2, इमली-1, सौन्जड़-1, मोटर खोली-1, कुँआ पक्का-1.
16	अहिल्याबाई बेवा लक्ष्मण कुलमी, नि.ग्रा.	245/1 पैकी	0.030	मकान-3, बेर-1, नीम-4 नीम पौधे-1, ईमली-1, गोन्दी-1.
17	महादेव शंकर, गणेश, शीलाबाई, सकुबाई, सुशीलाबाई लीलाबाई, उर्मीलाबाई, कलाबाई पिता रेवाजी, सीताबाई बेवा रेवाजी कुलमी सा. देह	245/2 पैकी	0.059	नीम-1, पीपल-2, बेर-1, अस्तरा-1.
18	लेकराम चेतराम पिता नारायण कुलमी सा. देह	246, 247	0.093	नीम-1, नीम पौधा-1, बेर-1, सन्देसड़ा-5, मकान-1.
19	चंद्रशेखर पिता हरिशचन्द्र, कुलमी, सा. देह	248	0.061	—
20	मांग्या पिता दामा, गजानंद, गणेश, जयराम पिता मोतीलाल अन्नपूर्णा, अनीता पिता मोतीलाल, रेखाबाई बेवा मोतीलाल, मनीष पिता डालूराम, विद्याबाई बेवा डालूराम कुलमी सा. देह.	249	0.028	—
21	मांगीलाल पिता कल्या, कुलमी सा. देह	250	0.105	बांस-1, नीम-1, इमली-3, कौउ-3, टीनशेड-3, पानी की होदी-1.
22	कृष्णचंद पिता सीताराम कुलमी सा. देह	252/2, 253/1/2 पैकी	0.024	—
23	जितेन्द्र पिता सदाशिव, कुलमी सा. देह	253/2	0.049	—
24	चंद्रशेखर पिता हरिशचंद्र, कुलमी, सा. देह	253/3	0.032	टीनशेड-3, इमली-1, नीम-1, सन्देसड़ा-1.
25	जगन्नाथ पिता पेमा, कुलमी सा. देह	254/1	0.061	टीनशेड-1
26	भगवान, श्रीराम, रामेश्वर, कालू पिता गणपत कुलमी, सा. देह.	254/2	0.057	टीनशेड-2, नीम-2
27	कृष्णचंद पिता चंपालाल कुलमी, सा. देह	256	0.065	इमली-1, टीनशेड-2, पानी का होज़-1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	सीताराम पिता देवचंद, कुलमी, सा. देह	257	0.049	नीम-2, टीनशेड-2
29	रमेश पिता सुखलाल, कुलमी, सा. देह	258	0.049	नीम-2
30	छतरसिंह, मालती पिता नाना राजपूत नि.ग्रा.	260/1	0.016	—
31	अशोक, सुभाष, भूरेसिंह, जगदीश, महादेव, आशा पिता मांगीलाल राजपूत सा. देह.	260/2	0.016	—
32	इन्दर, ममताबाई पिता भोलूसिंह, कलाबाई बेवा भोलू राजपूत नि. ग्रा.	260/3	0.016	—
33	कालू पिता मोत्या राजपूत सा. देह	260/4	0.033	—
34	कैलाश पिता मांगीलाल कुलमी सा. देह	261	0.061	मकान-1, टीनशेड-1
35	सुभाष गिरीश, कैलाश, दिनेश, महेश पिता पंढरीनाथ अ. प्रमोद, गुड्डी, राजेश, सुलभा पिता पंढरीनाथ, अ.पा.क. भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ, भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ ब्राम्हण, नि.ग्रा.	262	0.024	—
36	चंद्रशेखर पिता हरिशचन्द्र, कुलमी, सा. देह	263	0.024	टीनशेड-1
37	जशवंतसिंह पिता रामसिंह राजपूत, सा. देह	264	0.061	मकान-4
38	कृष्णचंद पिता चंपालाल, कुलमी, सा. देह	265/1	0.032	—
39	द्वारका, नारायण पिता हिरालाल घिसीबाई बेवा हिरालाल कुलमी सा. देह.	265/2	0.036	नीम-2, मकान-1
40	रामा, शिवा पिता गोपीचंद लक्ष्मन पिता सीताराम कृष्णचंद पिता चंपालाल कुलमी, सा. देह.	267	0.041	—
41	कैलाश पिता नत्थू कुलमी, सा. देह	268	0.085	मकान-1
42	कालुसिंह, पुनमसिंह, मदरूपसिंह पिता सिगदार, मांगीबाई, कोशल्याबाई पिता सिगदार, खुमानसिंह, भगवानसिंह, तिलोकसिंह पिता भुक्कण, गयणाबाई बेवा भुक्कण, मनोहर पिता मुनीमसिंह, शिवकुवरबाई बेवा मुनीमसिंह, कमलसिंह पिता दरियावसिंह, सीमाबाई बेवा दरियावसिंह, पर्वतसिंह पिता हिरासिंह राजपूत, सा. देह.	269	0.097	मकान-1
43	जगदीश, रामेश्वर, डालूराम पिता रणछोड़ कुलमी, सा. देह	270	0.069	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	अनोकचंद, ताराचंद, हुकुमचंद, तिलोकचंद पिता ओंकार गंगाबाई बेवा ओंकार, कुलमी सा. देह	271	0.036	नीम-1, मकान-1
45	प्रमिलाबाई पति सेवकराम, राजपूत सा. देह	273	0.081	नीम-1, जाम-1, पानी का होज-1, मकान-4.
46	कमलेश पिता शोभाराम, जशोदाबाई पति शोभाराम कुलमी सा. देह.	274/1	0.040	मकान-2
47	मीराबाई जौजे राजाराम कुलमी सा. देह	274/2 275	0.036 0.049	मकान-1
		1	0.085	
48	महेश पिता लक्षमण कुलमी नि.ग्रा.	276	0.069	नीम-2
49	रमेश पिता बोंदर, कुलमी सा. देह	277	0.053	नीम-2
50	श्रीराम पिता मोतीराम कुलमी सा. देह	278	0.101	आम-1, इमली-1, नीबू-1, अशोक-2, धर्मशाला-1.
51	रमेश पिता बोंदर, कुलमी सा. देह	279	0.089	इमली-4
52	जानकीबाई बेवा राधेश्याम कुलमी सा. देह	280	0.090	मकान-1
53	जगदीश, रामेश्वर, डालूराम पिता रणछोड़ कुलमी सा. देह	281	0.040	पीपल-1, नीम-1
54	गणेश, भूवानीराम, जगदीश पिता राजाराम, शांता, सरसत, बसु पिता राजाराम अ.पा.क. लक्ष्मीबाई बेवा राजाराम, भगवान, श्रीराम, कृष्णु पिता शोभाराम, गुलाबबाई बेवा शोभाराम, राधेश्याम पिता भिका, हरिराम पिता शंकर कुलमी सा. देह.	283	0.121	—
55	जगन, प्रभु, अशोक पिता पुन्या बलाई सा. देह	291	0.065	नीम-1
56	मयाराम पिता भीला बलाई सा. देह	293	0.040	आम-1
57	महादेव पिता नत्थू कुलमी सा. देह	294	0.388	—
58	नाना पिता भीला बलाई सा. देह	295, 313/11	0.032	—
59	घनश्याम, टुटा पिता निल्या, मंगतीबाई पिता निल्या, अमरचंद, अम्बाराम, रेवाराम पिता रणछोड़, किशोर दिनेश पिता रूपाजी, सुमनबाई पिता रूपाजी, नीलाबाई बेवा रूपाजी, सीताराम, बोखार, भीमसिंह, रामलाल पिता मांग्या, पुनीबाई पिता मांग्या बलाई सा. देह.	297	0.053	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60	शिवगीर, कुसुमबाई पिता महादेवगीर, गिरिश, अनिता, चंदू, उमा पिता भगवानगिर सुरजबाई बेवा भगवानगिर गोस्वामी सा. देह.	300	0.109	ईमली-1, बैर-3, नीम-1
61	मांगीलाल पिता गणपत सुतार सा. देह	301/1	0.036	कविट-1
62	भगवान पिता गणपत सुतार सा. देह	301/2	0.018	—
63	सुखलाल पिता सीताराम कुलमी सा. देह	302 पैकी	0.070	कविट-1, आम-1, नीम-4.
64	राधेश्याम पिता गणपत सुतार सा. देह	303/1	0.016	—
65	रामनारायण पिता गणपत सुतार सा. देह	303/2	0.016	मकान-1, टीनशेड-1
66	भगवान मांगीलाल रामनारायण, राधेश्याम पिता गणपत, लाड़कीबाई बेवा गणपत सुतार सा. देह.	304	0.036	कविट-1, इमली-1
67	राधेश्याम पिता गणपत सुतार सा. देह	305/1	0.024	—
68	जगन्नाथ पिता पेमा कुलमी, सा. देह	313/1/1/3	0.040	—
69	इमाम, असरफ, नवाब, मुंशी पिता गप्पु, हमीदा बेवा गप्पु पिंजारा, अब्दुल, बाबु पिता कासम पिंजारा सा. भट्याण.	313/3	3.237	पाईप लाईन-1, नदी से पीयत, नीम-14, नीम पौधा-10, बैर-3, कविट-1.
70	कन्हैया पिता रामा, अनुबाई बेवा रामा, लक्ष्मीबाई, नथीबाई, चंदुबाई पिता रामा हिरालाल, भगवान गणेश पिता बाल्या भारूड़ सा. देह.	313/4	2.440	पाईप लाईन-1, नदी से पीयत, नीम-25, नीम पौधा-47, बैर-1, बबूल-32.
		70	12.177	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9/2010/सात-2ए, भोपाल दिनांक 03-6-2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम सुलगांव की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम सुलगांव की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.177 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1
हस्ता./-
नाम : **(मथुरा लाल मण्डलोई)**
पता : 220, बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन

साक्षी क्र.-2
हस्ता./-
नाम : **(छोटेखान)**
पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

क्र. 656-भू-अर्जन-2011 खरगोन, दिनांक 11 अप्रैल 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 10-अ-82-10-11

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 11 अप्रैल 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम बहेगांव, प.ह.नं. 25, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 46, कुल क्षेत्रफल 4.785 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है:—

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बहेगांव

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	देवानंद गीरधारी, जगदीश पिता गजानंद जाति कुलमी, नि. ग्रा.	190/1/1/1/4 ख	0.020	—
2	हरीराम पिता बाबूलाल जाति कलुमी, नि. ग्रा.	190/1/1/1/4 घ	0.020	टीनशेड-1, नीम-3, इमली-1.
3	रामा पिता बाबू जाति सुतार, नि.ग्रा.	190/1/1/1/5 पैकी	0.012	—
4	चतुर्भूज, शांतिलाल पिता रामप्रसाद जाति महाजन, नि.ग्रा.	190/1/1/1/1/4	0.061	—
5	कालू, भोलू, बालू, बहादर, कैलाश पिता बोंदर, छगनबाई बेवा बोंदर, गोविंद, माधव, रतन पिता गणपत, पदम पिता गणपत, पुनीबाई बेवा गणपत, नाना, हरि पिता गप्पु, शेरू नाना पिता रुघनाथ, नानी समोति पिता रुघनाथ जाति नावड़ा, नि.ग्रा.	190/1/1/1/1/5 पैकी	0.010	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	ऐडू पिता नत्थू, कमलाबाई पिता नत्थू, सागरबाई बेवा चम्पालाल जाति नावड़ा, नि.ग्रा.	190/1/1/1/1/1/3 पैकी	0.031	—
7	ग्यारसीबाई बेवा मुकुंद, कड़वा, भगवान पिता मुकुंद नावड़ा, नि.ग्रा.	190/1/1/1/1/1/4	0.061	—
8	अनोखीबाई पिता शंकर राजपूत, नि.ग्रा.	190/1/1/1/1/1/5	0.061	—
9	भीका पिता भील्या नावड़ा, नि.ग्रा.	190/1/1/1/1/1/6	0.061	—
10	राजाराम, अनोकचंद पिता तिलोकचंद सुतार, नि. मर्दाना	199	0.040	—
11	नराणसिंह, संग्रामसिंह पिता सबलसिंह, अमरसिंह पिता उमरावसिंह, गुलाबसिंह, बहादरसिंह पिता धनसिंह, कड़वा पिता चंदरसिंह, केशरबाई बेवा चंदरसिंह, अनुबाई, नादानबाई पिता धनसिंह राजपूत, नि.ग्रा.	208	0.053	—
12	मटुबाई बेवा नत्थू, मंगत, भागीरथ मीराबाई पिता नत्थू अ.पा.क. मटुबाई बेवा नत्थू नावड़ा सा. देह.	215/2 पैकी	0.032	—
13	गंगाबाई, अन्नुबाई, जमनाबाई, केशरबाई पिता दगड़ीया, शेरू पिता रामा नावड़ा, सा. देह.	220 पैकी	0.041	टपरिया-1 कच्ची
14	ताराचंद पिता बाबूलाल नावड़ा, सा. देह	221/1	0.020	नीम-2, टीनशेड-1
15	जोग्या, मौज्या, सरवण, सखाराम पिता अर्जुन, अजबबाई, अजुध्याबाई पिता अर्जुन, भागाबाई बेवा अर्जुन कहार, सा. देह.	222	0.049	भीलट बाबा की डेरी, इमली-1, टीनशेड-1.
16	शोभाराम पिता रुघनाथ सुतार, सा. देह	231	0.065	टीनशेड-1, मकान कच्चा-1
17	बाल्या पिता दगड़ीया नाई, सा. देह	233	0.016	पशु शेड-1
18	कलाबाई बेवा रामचंद, ममता, माया, शिवकन्या पिता रामचंद नावड़ा, सा. देह.	236/1	0.809	मकान-1, नीम-15, बोर-6, जाम-1, सीताफल-1.
19	गुलाबसिंह, रामसिंह पिता दगडू, रामकुंवरबाई बेवा दगडू केशरबाई, गीताबाई, लक्ष्मीबाई, ताराबाई, समोतिबाई पिता दगडू राजपूत, सा. देह.	240	0.150	मकान कच्चा-1, नीम-3.
20	रामसिंह पिता घिस्या राजपूत, सा. देह	246/2	0.053	पशुशेड-1, नीम-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	रामलाल, लखनलाल, गौरीशंकर, बालकृष्ण, विजयकुमार पिता भगवान, दुर्गाबाई बेवा भगवान दिलीप पिता लक्ष्मीनारायण ब्राम्हण, सा. देह.	252	0.101	पशुशेड-1
22	रामेश्वर, लक्ष्मीकांत पिता मुकुंद ब्राम्हण, सा. देह	253/1	0.065	मकान-3, बोर-1, बबूल-1, इमली-1, टीनशेड-1.
23	मंशाराम अनोकचंद, घनश्याम पिता जयराम, गबरु पिता राजाराम, ठगुबाई बेवा राजाराम, लच्छीराम हरिराम पिता शोभाराम सुतार, सा. देह.	256/3 261 1	0.017 0.032 0.049	नीम-1, टपरिया-1
24	हरिराम पिता बाबुलाल, कुलमी, सा. देह.	258/1	0.029	—
25	देवानंद, गिरधारी, जगदीश पिता गजानंद कुलमी, सा. देह	258/2	0.028	—
26	मंशाराम, हिरालाल, तुलसीराम पिता फत्तु भारुड़, सा. देह	260/2	0.020	—
27	नारायणसिंह, सरदारसिंह पिता नवलसिंह, भगवानसिंह, रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल, राजपूत, सा. देह.	263 284 285 287 288 289 290 1	0.682 0.093 0.085 0.074 0.024 0.041 0.037 1.036	पीयत नर्मदा नदी पाईप लाईन से, नीम-2, मकान-1, कुँआ पक्का-1 नीम पौधा-1, सुरजना-1, पाईप लाईन-1.
28	नारायणसिंह, सरदारसिंह पिता नवलसिंह, भगवानसिंह, रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल, राजपूत, सा. देह.	264	0.061	पशुशेड-1, कच्चा मकान-1.
29	हरिराम पिता बाबुलाल, कुलमी, सा. देह	266/1	0.016	—
30	देवानंद, गीरधारी, जगदीश पिता गजानंद जाति कुलमी, नि. ग्रा.	266/2	0.020	—
31	गौरीशंकर पिता ऊंकार कुलमी, सा. देह	267	0.036	—
32	नारायणसिंह, सरदारसिंह पिता नवलसिंह, भगवानसिंह रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल, राजपूत, सा. देह.	268	0.061	—
33	जानकीबाई पति बल्लु राजपूत, सा. देह	270	0.049	नीम-1, मकान-1
34	सीताबाई बेवा महोब्बतसिंह राजपूत, सा. देह	271	0.061	मकान-1
35	सीताबाई बेवा महोब्बतसिंह राजपूत, सा. देह	272	0.052	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	रूपसिंह पिता लक्ष्मण राजपूत, सा. देह	273	0.069	
37	नारायणसिंह, सरदारसिंह पिता नवलसिंह, भगवानसिंह, रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल, राजपुत, सा. देह	282, 283	0.049 0.040	
		1	0.089	
38	नारायणसिंह, सरदारसिंह पिता नवलसिंह, भगवानसिंह, रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल, राजपुत, सा. देह	286	0.053	
39	अनोकसिंह नैनसिंह, चैनसिंह, मनोहरसिंह, कालूसिंह पिता गोपाल राजपूत, सा. देह.	293/2, 294	0.020 0.081	
		1	0.101	
40	सबलसिंह, अमरसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत शांतिलाल पिता बाबुलाल चतुर्भुज शांतीलाल पिता रामप्रसाद महाजन लक्ष्मीबाई पिता कृष्णराव ब्राम्हण, सा. देह.	298	0.753	
41	सुमनबाई बेवा बाल्या नावड़ा, सा. देह	300/2	0.081	
42	एडू पिता बाल्या भारूड़, सा. देह	302/1/1/2 पैकी	0.005	मकान-1, कुआं-1, नीम-1, बोर-1.
43	अनोकसिंह नैनसिंह, चैनसिंह, मनोहरसिंह, कालू पिता गोपाल, प्यारीबाई बेवा गोपाल राजपूत, सा. देह.	302/1/1/4 पैकी	0.005	मकान-2, नीम-2, बबूल-1.
44	भगवान शिवराम पिता गोविन्द भारूड़, सा. देह	302/1/1/3/1 पैकी	0.005	मकान-2, नीम-5, बबूल-1.
45	बोखार पिता मांगीलाल कहार, सा. देह	195/307	0.154	
46	लक्ष्मण दगडू पिता रूखडू राजपूत, सा. देह	241	0.121	पशुशेड-1, नीम-1
	महायोग . .	46	4.785	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9/2010/सात-2ए, भोपाल दिनांक 03-6-2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि :—

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम बहेगांव की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम बहेगांव की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 4.785 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1
हस्ता./-
नाम : **(मथुरा लाल मण्डलोई)**
पता : 220, बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन

साक्षी क्र.-2
हस्ता./-
नाम : **(छोटेखान)**
पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 317-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	दुलेहरा	8.12	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. 555-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/ मनगवां.	पोडी पैपखार	4.56	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 557-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/ मनगवां.	माला कोठार	8.48	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 559-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/ मनगवां.	वहीवार कोठार	6.20	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 561-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/ मनगवां.	देवास कोठार	5.50	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 563-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/ मनगवां.	केवटी कोठार	6.64	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. 03-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	घाटीगांव	करई-पाटई	0.806	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ग्वालियर.	करई-पाटई तालाब निर्माण हेतु ग्राम करई की भूमि का अर्जन.
		योग .	.0.806		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्रकरण क्रमांक 05-अ-82-10-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	भानपुरा	सांदलपुर	22.846	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.	सांदलपुर तालाब योजना अन्तर्गत(द्वितीय) पूरक प्रकरण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. 1819-भू-अर्जन-2011-01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	अमरपुर	6.042	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया मध्यप्रदेश.	भदार व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर के बांयी तट नहर निर्माण हेतु.
		देवगवां	6.634		
		रोहनिया	2.527		
			योग: 15.203		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भदार डायवर्सन योजना की मुख्य नहर बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1818-भू-अर्जन-2011-02-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	गडरियाटोला	9.751	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया मध्यप्रदेश.	भदार व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर के दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
		खेरवा	0.698		
		देवगवां	4.727		
		चिमटा	4.635		
			योग: 19.811		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भदार डायवर्सन योजना की मुख्य नहर दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर, जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

पृ. क्र. 04-अ-82-वर्ष-2009-10 पत्र क्र.-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गोलगांव खुर्द	0.081	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग नरसिंहपुर.	कान्हरगांव-महगंवा कलॉ-आड़ेगांव खुर्द सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 585-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	बरका	6.73	उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	बरका बांध के नहर निर्माण हेतु.

भूमियों का नक्शा (प्लान) खसरा भू-अर्जन अधिकारी, देवसर, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बीना, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र.-क-2796-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	बीना	बीना इटावा	7	3.587	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग-सागर.	बीना -आगासोद मार्ग पर लेबिंग क्रासिंग क्रमांक 309 सी/2ई एवं क्रमांक 3बी/2ई बीना कोटा ट्रेक पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	गिलौहा	10.98	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	हंसपुरा	11.40	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौडी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	पीरा	5.39	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौडी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	पट्टी	4.90	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौडी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	अटकौहां	15.00	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	टहनगा	6.00	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	खपटया	3.00	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	रानीपुरा	13.80	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगौन, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. 691-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	नगावां	एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां— 1. आबादी भूमि-1110 वर्ग मी. एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां— 1. शासकीय भूमि—100 वर्ग मी. 2. निजी कृषि भूमि—2080 वर्ग मी. एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू. एल.में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां— 1. आबादी भूमि—40120 वर्ग मी. एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू. एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां— 1. निजी कृषि भूमि—2300 वर्ग मी. योग—आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां—41230 वर्ग मी. योग—शासकीय एवं निजी कृषि भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां—4480 वर्ग मी.	महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान)(1) कलेक्टर जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, खरगोन (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि.मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 10 मार्च 2011

प्र. क्र. 74-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—कचनारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.01 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
170/1	0.00	निजी भूमि
170/2	0.18	निजी भूमि
170/3	0.18	निजी भूमि
167	0.30	निजी भूमि
164/1	0.00	निजी भूमि
164/2	0.06	निजी भूमि
165	0.10	निजी भूमि
161	0.16	निजी भूमि
201	0.21	निजी भूमि
202/1	0.14	निजी भूमि
202/2	0.00	निजी भूमि
155/1	0.13	निजी भूमि
155/2	0.12	निजी भूमि
154	0.12	निजी भूमि
61/1	0.06	निजी भूमि
31/3	0.00	निजी भूमि
22/3	0.00	निजी भूमि
61/2	0.06	निजी भूमि
62	0.10	निजी भूमि
32	0.03	निजी भूमि
57	0.11	निजी भूमि
35	0.20	निजी भूमि
34	0.03	निजी भूमि
33	0.15	निजी भूमि
31/1	0.08	निजी भूमि
31/2	0.00	निजी भूमि
22/2	0.05	निजी भूमि
23	0.13	निजी भूमि
22/1	0.00	निजी भूमि
8/1	0.05	निजी भूमि
9	0.03	निजी भूमि
8/2	0.20	निजी भूमि
3/1	0.02	निजी भूमि
3/2	0.01	निजी भूमि
390	0.20	निजी भूमि
389/1	0.30	निजी भूमि
389/2	1.00	निजी भूमि
389/3	0.50	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	5.01	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2011

प्र. क्र. 78-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—टपरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.80 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2828	0.02	निजी भूमि
2829	0.05	निजी भूमि
2924	0.02	निजी भूमि
2928	0.04	निजी भूमि
2929	0.05	निजी भूमि
2927	0.05	निजी भूमि
3181	0.06	निजी भूमि
3189	0.08	निजी भूमि
3006	0.04	निजी भूमि
3008	0.02	निजी भूमि
3009	0.06	निजी भूमि
3014	0.02	निजी भूमि
3016	0.03	निजी भूमि
3007	0.10	निजी भूमि
3210	0.03	निजी भूमि
3297	0.06	निजी भूमि
3296	0.02	निजी भूमि
3260	0.12	निजी भूमि
3025	0.02	निजी भूमि
3208	0.06	निजी भूमि
3209	0.09	निजी भूमि
3249	0.10	निजी भूमि
3250	0.06	निजी भूमि
3253	0.07	निजी भूमि
3254	0.05	निजी भूमि
3256	0.04	निजी भूमि
3257	0.07	निजी भूमि
2949	0.10	निजी भूमि
2950	0.08	निजी भूमि
3027	0.06	निजी भूमि
3026	0.04	निजी भूमि
3013	0.04	निजी भूमि
3015	0.02	निजी भूमि
3012	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.80	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सांटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 79-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—गजंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.40 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
68/1	0.07	निजी भूमि
68/2	0.13	निजी भूमि
69	0.24	निजी भूमि
81	0.45	निजी भूमि
82	0.47	निजी भूमि
70	0.35	निजी भूमि
71/1	0.17	निजी भूमि
83/1ख	0.26	निजी भूमि
83/1ग	0.26	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.40	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 80-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—ठरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.11 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2	0.30	निजी भूमि
3	0.04	निजी भूमि
4	0.13	निजी भूमि
5	0.18	निजी भूमि
6	0.20	निजी भूमि
8	0.08	निजी भूमि
57	0.14	निजी भूमि
64	0.19	निजी भूमि
65	0.09	निजी भूमि
68	0.15	निजी भूमि
9	0.04	निजी भूमि
11	0.19	निजी भूमि
12	0.19	निजी भूमि
54	0.10	निजी भूमि
66	0.02	निजी भूमि
67	0.05	निजी भूमि
77	0.02	निजी भूमि
78	0.21	निजी भूमि
79	0.03	निजी भूमि
14/1	0.08	निजी भूमि
24/1	0.10	निजी भूमि
26	0.06	निजी भूमि
27	0.05	निजी भूमि
29	0.14	निजी भूमि
119	0.15	निजी भूमि
120	0.22	निजी भूमि
14/2	0.09	निजी भूमि
17	0.02	निजी भूमि
18	0.04	निजी भूमि
21	0.10	निजी भूमि
28	0.08	निजी भूमि
30	0.10	निजी भूमि
33	0.06	निजी भूमि
83	0.16	निजी भूमि
125	0.18	निजी भूमि
173	0.07	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)
183	0.06	निजी भूमि
22	0.02	निजी भूमि
23	0.02	निजी भूमि
47	0.10	निजी भूमि
51	0.77	निजी भूमि
118	0.22	निजी भूमि
489	0.12	निजी भूमि
490	0.03	निजी भूमि
491	0.07	निजी भूमि
492	0.07	निजी भूमि
493	0.07	निजी भूमि
494	0.40	निजी भूमि
532	0.05	निजी भूमि
536	0.26	निजी भूमि
538	0.10	निजी भूमि
539	0.06	निजी भूमि
540	0.06	निजी भूमि
541	0.06	निजी भूमि
549	0.08	निजी भूमि
24/2	0.10	निजी भूमि
25	0.09	निजी भूमि
172	0.08	निजी भूमि
184	0.07	निजी भूमि
34	0.06	निजी भूमि
36	0.09	निजी भूमि
35	0.03	निजी भूमि
42	0.08	निजी भूमि
43	0.08	निजी भूमि
44	0.20	निजी भूमि
38	0.08	निजी भूमि
41	0.04	निजी भूमि
103	0.15	निजी भूमि
104	0.10	निजी भूमि
105	0.08	निजी भूमि
174	0.05	निजी भूमि
175	0.06	निजी भूमि
31	0.08	निजी भूमि
100	0.09	निजी भूमि
40	0.24	निजी भूमि
46	0.30	निजी भूमि
96	0.17	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
99	0.16	निजी भूमि	7	0.10	निजी भूमि
107	0.14	निजी भूमि	80	0.06	निजी भूमि
45	0.30	निजी भूमि	93	0.06	निजी भूमि
48	0.06	निजी भूमि	110	0.15	निजी भूमि
49	0.05	निजी भूमि	86	0.03	निजी भूमि
50	0.07	निजी भूमि	95	0.15	निजी भूमि
56	0.08	निजी भूमि	112	0.08	निजी भूमि
58	0.08	निजी भूमि	87	0.53	निजी भूमि
61	0.08	निजी भूमि	88	0.51	निजी भूमि
71	0.14	निजी भूमि	94	0.19	निजी भूमि
74	0.08	निजी भूमि	108	0.09	निजी भूमि
75	0.09	निजी भूमि	97	0.18	निजी भूमि
89	0.22	निजी भूमि	101	0.09	निजी भूमि
90	0.04	निजी भूमि	114	0.12	निजी भूमि
91	0.05	निजी भूमि	115	0.14	निजी भूमि
113	0.10	निजी भूमि	116	0.15	निजी भूमि
53	0.14	निजी भूमि	169	0.16	निजी भूमि
60	0.07	निजी भूमि	170	0.10	निजी भूमि
73	0.04	निजी भूमि	171	0.11	निजी भूमि
102	0.11	निजी भूमि	185	0.09	निजी भूमि
106	0.15	निजी भूमि	117	0.22	निजी भूमि
55	0.09	निजी भूमि	121	0.26	निजी भूमि
59	0.03	निजी भूमि	126	0.29	निजी भूमि
70	0.11	निजी भूमि	127	0.17	निजी भूमि
98	0.15	निजी भूमि	168	0.49	निजी भूमि
62	0.12	निजी भूमि	726	0.08	निजी भूमि
63	0.18	निजी भूमि	122	0.02	निजी भूमि
76	0.10	निजी भूमि	123	0.28	निजी भूमि
84	0.10	निजी भूमि	124	0.02	निजी भूमि
176	0.07	निजी भूमि	128	0.16	निजी भूमि
177	0.08	निजी भूमि	129	0.17	निजी भूमि
179	0.04	निजी भूमि	530	0.08	निजी भूमि
180	0.02	निजी भूमि	727	0.13	निजी भूमि
69	0.14	निजी भूमि	728	0.14	निजी भूमि
85	0.04	निजी भूमि	471	0.08	निजी भूमि
109	0.04	निजी भूमि	474	0.02	निजी भूमि
111	0.06	निजी भूमि	511	0.24	निजी भूमि
72	0.11	निजी भूमि	473	0.09	निजी भूमि
81	0.06	निजी भूमि	475	0.14	निजी भूमि
82	0.20	निजी भूमि	476	0.09	निजी भूमि
92	0.07	निजी भूमि	479/2	0.27	निजी भूमि
178	0.09	निजी भूमि	477	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
482	0.14	निजी भूमि
484/2	0.29	निजी भूमि
484/1	0.07	निजी भूमि
484/1	0.20	निजी भूमि
483/2	0.04	निजी भूमि
484/3	0.20	निजी भूमि
485/2	0.22	निजी भूमि
486	0.10	निजी भूमि
487	0.05	निजी भूमि
428	0.02	निजी भूमि
495	0.05	निजी भूमि
496	0.09	निजी भूमि
497	0.05	निजी भूमि
506	0.07	निजी भूमि
653	0.07	निजी भूमि
527	0.06	निजी भूमि
652	0.06	निजी भूमि
498	0.11	निजी भूमि
499	0.04	निजी भूमि
500	0.12	निजी भूमि
502	0.12	निजी भूमि
503	0.07	निजी भूमि
528	0.06	निजी भूमि
529	0.17	निजी भूमि
531	0.07	निजी भूमि
533	0.05	निजी भूमि
501	0.12	निजी भूमि
504	0.09	निजी भूमि
505	0.05	निजी भूमि
507	0.14	निजी भूमि
508	0.10	निजी भूमि
509	0.05	निजी भूमि
512	0.09	निजी भूमि
513	0.06	निजी भूमि
537	0.08	निजी भूमि
550	0.12	निजी भूमि
542	0.11	निजी भूमि
543	0.10	निजी भूमि
544	0.07	निजी भूमि
545	0.05	निजी भूमि
546	0.07	निजी भूमि
547	0.16	निजी भूमि
548	0.13	निजी भूमि
551	0.16	निजी भूमि
552	0.16	निजी भूमि
553	0.11	निजी भूमि
554	0.19	निजी भूमि
555	0.03	निजी भूमि
557	0.04	निजी भूमि
650	0.09	निजी भूमि
649	0.14	निजी भूमि
720	0.07	निजी भूमि
721	0.08	निजी भूमि
724	0.06	निजी भूमि
723	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	25.11	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 18 मार्च 2011

क्र.-भू-अर्जन-02-(अ-82)-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—खरपरिया, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.11 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
3 एवं 4	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— वृक्षारोपण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च 2011

प्र. क्र. 20-अ-82-06-07-भू-अर्जन-**संशोधन.**—प्र.क्र. 20-अ-82-06-07-भू-अर्जन, ग्वालियर, दिनांक 26 फरवरी 2008 से सर्वे क्रमांक 6/1 का अधिग्रहित रकबा 0.178 है. का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग 1 में दिनांक 14 मार्च 2008 को पृष्ठ क्रमांक 684 पर किया गया है जिसमें संशोधन करते हुये उक्त सर्वे नंबरान के स्थान पर निम्नानुसार सर्वे क्रमांक 6/1 रकवा 0.178 है. का प्रकाशन किया जा रहा है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सावर्जनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—घाटीगांव

(ग) नगर/ग्राम—पाही आरौन

(घ) क्षेत्रफल —0.178 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
6/2	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— लावन का पुरा तालाब योजना हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र.-588-भू-अर्जन-2011-रा.प्र. क्र. 07-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक-60-5-कोर्ट-11 इन्दौर, दिनांक 18 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) के तहत् अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—निवाली

(ग) ग्राम—तलाव

(घ) लगभग क्षेत्रफल —11.800 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
ग्राम तलाव तहसील निवाली (एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हेतु)	
21	0.750
22/1	
22/2	0.360
24/1	
24/2	0.280
24/3	

(1)	(2)
25	0.150
27	0.150
29/1 29/2 29/3	3.740
30	3.200
31/4	0.080
62/1	0.020
62/2	0.050
71	0.080
73	0.020
74	0.100
75/1	0.850
75/2	0.810
76/1	0.210
76/2	0.200
76/3	0.200
76/4	0.200
78	0.250
79	0.100
कुल रकबा . .	11.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेन्धवा तथा जिला परिवहन अधिकारी, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 20 अप्रैल, 2011

क्र. 692-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 09-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक-29-5-कोर्ट-2011, इन्दौर दिनांक 07 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—नागलवाड़ी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.385 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
46/1	0.425
46/2	0.640
54/1	0.320
योग . .	1.385

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—छोटी नागलवाड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-693-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 24-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक-29-5-कोर्ट-2011 इन्दौर दिनांक 07 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—देवनली
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.850 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
61/2	0.690
65/1	0.160
योग . .	0.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—छोटी नागलवाड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र.-527-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मरैला कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.714 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
64	0.086
94	0.065
95	0.120
96	0.069
97	0.084
106	0.060
108	0.012
109	0.090
111	0.067
112	0.081
700	0.045
701	0.006
702	0.075
710	0.027
711	0.186
716	0.060
718	0.097
729	0.120
733	0.018
734	0.105
736	0.025
738	0.010
739	0.028
757, 758, 759	0.090
767	0.060
810	0.037
811	0.030
813	0.005
814	0.045
816	0.161
820	0.012
849	0.075
853	0.195
854	0.055
855	0.027
856	0.038
857	0.054
888	0.147
937	0.132
939	0.015
योग . .	2.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला कोठार माइन की सब-माइनर नं. 3 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-529-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—मरैला कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग—6.204 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
62	0.010
64	0.398
65	0.263
66	0.408
84	0.108
85	0.252
95	0.360
113	0.007
121	0.373
122	0.192
132	0.009
133	0.099
134	0.075
135	0.130
138	0.138
139	0.135
140	0.019
150	0.024
151	0.069
159	0.253
352	0.040
371	0.180
372	0.016
393	0.308
404	0.218
484	0.101
485	0.006
489	0.110
490	0.090
494	0.100
495	0.100
496	0.140
497	0.112
500	0.060
502	0.040
504	0.090
505	0.016
556	0.040
557	0.032
563	0.200
645	0.260
647	0.160
652	0.140
656	0.072
657	0.100
674	0.090
योग . .	6.143
शासकीय भूमि	
130	0.045
392	0.016
योग . .	0.061
कुल योग . .	6.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 531-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—बिहरीया

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.096 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
127	0.096
योग . .	0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी नहर की बिहरीया माइनर के अन्तर्गत बिहरीया का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 18 अप्रैल 2011

पत्र क्र. 546-प्रशा.-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम—तपा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—6.448 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
884	0.180
885	0.048
888	0.280
889	0.020
890	0.125
897	0.010
914	0.095
916	0.032
917	0.022
918	0.180
982	0.008
984	0.094
985	0.063
997	0.039
998	0.010
999	0.026
1005	0.465
1006	0.320
1007	0.042
1010	0.160
1011	0.020
1012	0.100
1013	0.034
1014	0.022
1054	0.142
1063	0.020
1064	0.200
1065	0.065
1066	0.115
1067	0.024
1068	0.033
1069	0.270
1070	0.032
1071	0.008
1280	0.884
1281	0.180
1289	0.150
1290	0.240
1318	0.345
1320	0.150
1321	0.160
1324	0.280
1327	0.075
1328	0.680
योग . .	6.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. 569-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बगढ़ा कोठार 337
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.287 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
53	0.081
60	0.117
61	0.065
83	0.004
84	0.101
86	0.121
88	0.054
90	0.004
91	0.302
92	0.004
94	0.121
99	0.121
101	0.044
102	0.016
103	0.036
104	0.040
487/188	0.056
योग . .	1.287

शासकीय शून्य

कुल योग . . 1.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 571-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पटेहरा कोठार 290
(घ) क्षेत्रफल लगभग—10.434 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21	0.500
23	0.350
24	0.024
25	0.024
26	0.101
63	0.405
69	0.144
70	0.032
71	0.154
75	0.028
81	0.305
82	0.032
83	0.405
439	0.032
440	0.670
441	0.008
442	0.375
443	0.255
444	0.405
446	0.200
502	0.331
503	0.049
504	0.375
505	0.202
506	0.036
507	0.202
508	0.081
509	0.054

(1)	(2)
510	0.005
511	0.040
512	0.050
513	0.202
514	0.008
516	0.151
517	0.012
553	0.124
578	0.016
579	0.049
580	0.008
581	0.049
595	0.202
596	0.072
597	0.202
602	0.101
603	0.826
604	0.012
768	0.340
769	0.101
830	0.305
837	0.101
838	0.202
840	0.202
945	0.202
946	0.110
947	0.060
948	0.110
949	0.100
950	0.070
953	0.250
954	0.070
958	0.070
960	0.085
1012/547	0.049
1027	0.030
योग . .	10.365

शासकीय भूमि

84	0.028
847	0.041
योग . .	0.069
कुल योग . .	10.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 573-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—गभुवानी मुड़वाह 126
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.272 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.048
2	0.048
3	0.240
7	0.016
25	0.088
26	0.160
34	0.288
35	0.016
36	0.016
44	0.176
45	0.024
46	0.152
योग . .	1.272

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 575-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—गभुवानी वृत्त 124

(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.217 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
44	0.067
45	0.121
46	0.068
47	0.012
48	0.238
73	0.007
74	0.095
76	0.191
77	0.136
87	0.088
89	0.012
91	0.074
92	0.054
93	0.050
94	0.041
95	0.004
97	0.026
107	0.068
113	0.038
114	0.026
115	0.085
116	0.136
117	0.016
168	0.109
173	0.014
176	0.109
177	0.014
178	0.158
179	0.002
186	0.136
योग . .	2.195
108	0.008
180	0.014
योग . .	0.022
कुल योग . .	2.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 579-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—बगढ़ा 338

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.776 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
120	0.020
121	0.028
122	0.057
123	0.025
124	0.053
125	0.008
127	0.004
129	0.081

(1)	(2)
130	0.069
131	0.028
145	0.081
146	0.146
147	0.073
150	0.069
151	0.121
152	0.049
342	0.266
345	0.146
348	0.073
349	0.097
350	0.004
353	0.133
356	0.133
359	0.073
360	0.012
361	0.057
362	0.081
363	0.032
373	0.004
374	0.024
375	0.024
379	0.097
380	0.105
381	0.105
382	0.108
422	0.008
443	0.474
446	0.012
447	0.152
448/643	0.004
449	0.097
450	0.128
451	0.004
452	0.152
599	0.077
600	0.061
601	0.121
योग . .	3.776

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 581-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—खैरहन
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.140 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
883	0.015
884	0.125
योग . .	0.140
मध्यप्रदेश शासन	0
महायोग . .	0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 583-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित

किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—टाटा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.803 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
141	0.006
142	0.413
139	0.083
137	0.012
136	0.151
134	0.006
133	0.069
132	0.200
131	0.108
119	0.087
118	0.174
165	0.008
117	0.078
116	0.019
115	0.016
114	0.020
113	0.004
167	0.008
112	0.051
110	0.076
109	0.083
187	0.011
188	0.075
186	0.028
190	0.032
191	0.032
194	0.025
197	0.006
195	0.006
196	0.032
200	0.089
201	0.170
216	0.121
219	0.089
220	0.22
221	0.019
231	0.014
232	0.089
233	0.073
योग . .	2.803

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 585-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—बदरांव गौतमान

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.676 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
582	0.038
569	0.155

(1)	(2)
568	0.004
561	0.076
560	0.096
556	0.019
555	0.172
554	0.096
500	0.006
501	0.049
502	0.072
503	0.048
504	0.059
531	0.168
532	0.011
530	0.153
528	0.088
413	0.025
414	0.034
420	0.008
419	0.017
417	0.004
418	0.012
422	0.028
423	0.070
424	0.008
521	0.032
427	0.104
428	0.034
357	0.027
358	0.029
359	0.053
361	0.059

(1)	(2)
336	0.044
335	0.004
363	0.004
369	0.030
370	0.073
371	0.041
372	0.008
373	0.062
374	0.004
293	0.009
292	0.032
291	0.012
294	0.046
295	0.009
296	0.032
297	0.036
298	0.016
299	0.094
270	0.051
268	0.070
267	0.064
266	0.021
240	0.012
241	0.022
242	0.009
243	0.025
244	0.025
246	0.032
250	0.004
211	0.010

(1)	(2)
202	0.100
203	0.025
201	0.012
186	0.051
185	0.057
184	0.049
187	0.004
163	0.043
164	0.069
162	0.076
161	0.036
159	0.011
153	0.024
154	0.115
155	0.038
156	0.051
259	0.012
239	0.004
204	0.132
205	0.012
योग . .	3.676

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-565-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि, निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—झीरिया (189)

(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.141 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
119	0.176
128	0.200
129	0.080
130	0.040
131	0.112
132	0.128
133	0.056
134	0.056
135	0.058
136	0.057
239	0.381
240	0.007
241	0.201
242	0.108
243	0.012
247	0.260
248	0.022
250	0.128
योग . .	2.082

मध्यप्रदेश शासन

202	0.024
246	0.035
योग . .	0.059
कुल योग . .	2.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

स्थाई भू–मुआवजा

नहर का नाम – सिरमौर वितरक नहर
ग्राम – झिरिया पटवारी हल्का नं. 28 सथिनी (शाहपुर)
तहसील – सिरमौर, जिला – रीवा

क्र.	नाम पट्टेदार वल्दियत, जाति पता एवं कैफियत	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.) में	अर्जित रकवा (हे.) में	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजेन्द्र बसरह नं. 27/1 सा0देह भू0 स्वामी	119	1.837	0.176	
2.	हीरालाल बशहर नं. 122	128	1.441	0.200	
3.	राजेन्द्र बशरह नं. 27/1	129	0.648	0.080	
4.	राजेन्द्र बशरह नं. 27/1	130	0.316	0.040	
5.	राजेन्द्र बशरह नं. 27/1	131/1	0.089	0.112	
6.	राजेन्द्र बशरह नं. 27/1	131/2	0.174		
7.	उर्मिला देवी पति विष्णु प्र0 जाति ब्रा0 पता सा0देह	131/3	0.263		
8.	उर्मिला देवी बशरह नं	132/1	0.784		
9.	कुशुम पति राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा0 पता सा0देह	132/2	0.910	0.128	
10.	राजमणि पिता आयोध्या प्रसाद जाति ब्रा0 सा0देह भू–स्वामी	133/1क 1	0.121	0.056	
11.	उर्मिला देवी बशरह	133/1क 2	0.036		
12.	कुशुम बशरह	133/1ख	0.045		
13.		133/2	0.202		
14.		134	0.474	0.056	
15.	शिवशंकर बशरह	135	0.890	0.058	
16.	अर्षवर्धन ज्वाला प्रसाद जाति ब्रा0 भूमिस्वामी	136/1	0.462	0.057	
17.		136/2	0.546		
18.		136/3	0.312		
19.	शेषमणि बशरह	239/1/1	0.656	0.381	
20.	हुब्बलाल बशरह	239/1/2	0.441		
21.	विजय कुमार बशरह	239/1/3	0.656		
22.		239/2/क	0.587		
23.	नागेश्वर प्रसाद पिता सुदर्शन प्रसाद जाति ब्रा0 पता सा0देह	239/2/क/1	0.275		
24.	आनन्द कुमार पिता नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा0 पता सा0देह	239/2/क/2	0.148		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	दुगेश कुमार पिता नागेश्वर प्रसाद जा0 ब्रा0 पता सा0देह	239/2/क/3	0.081		
26.	लालमणि बसरह	239/2/ख	0.583		
27.	राजमणि बसरह नं. 235/1/ग	239/2/ग	0.583		
28.		240/1/1	0.049		
29.	हुब्बलाल बशरह नं. 235/1/क1	240/1/2	0.040		
30.	विजय कुमार बशरह नं. 235/2/3	240/1/3	0.049		
31.	जागेश्वर बशरह	240/2/क/1	0.026		
32.	अनन्तकुमार	240/2/क/2	0.012	0.007	
33.	दुर्गेश	240/2/क/3	0.010		
34.		240/2/ख	0.041		
35.	लालमणि	240/2/ख/1	0.040		
36.	राजमणि	240/2/ग	0.045		
37.	राकेश कुमार पिता शम्भू प्रसाद	241	0.874	0.201	
38.	लालमणि प्रद्यम्न प्रसाद पिता रामकृपाल राजधर पिता मनविश्राम	242	0.602	0.108	
39.	राजेन्द्र	243/1	0.194		
40.	लालमणि	243/2	0.081		
41.	प्रद्यम्न प्रसाद पिता रामकृपाल जाति ब्रा0 सा0देह भू-स्वामी	243/3	0.150	0.012	
42.	लालमणि बशरह	243/4	0.113		
43.	शिवशंकर प्रसाद पिता हीरालाल जाति ब्राम्हण पता सा0देह भू-स्वामी	247/1	0.643		
44.	विष्णुकान्त पिता सुखपति प्रसाद 1/2 भाग भूमि स्वामी जमुना प्रसाद नर्वदा प्रसाद अनलि कुमार पिता जर्नादन जाति ब्राम्हण 1/2 भाग भूमि स्वामी 2.75	247/2	0.567	0.260	
45.	विष्णुकान्त पिता सुखपति प्रसाद जाति ब्रा0 पता सा0देह भू-स्वामी	248	0.769	0.022	
46.	गणेश दत्त पिता वाणेश्वर जाति ब्राम्हण पता सा0देह भूस्वामी	250/1	1.092	0.128	
47.	सुखपति बशरह नं. 249/1	250/2	0.551		
	योग कुल 47 किता			2.082	
	मध्यप्रदेश शासन (1)	202	0.648 सड़क	0.024	
	(2)	239/2/क/4	0.081		
	(3)	240/2	0.001		
	(4)	240/2/ख/2	0.004		
	(5)	246/2	0.146 रास्ता	0.055	
	योग कुल 5 किता				
	महा योग 52 किता			2.141 हे0	

क्र. 567-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—चौरा (1) (164)

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.503 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10	0.171
11	0.324
12	0.101
14	0.014
24	0.168
27	0.180
29	0.006
30	0.144
34	0.165
37	0.006
38	0.118
39	0.030
40	0.070
41	0.006
योग :	1.503

म. प्र. शासन

0	0
महायोग :	1.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

नहर का नाम—सिरमौर वितरक नहर

ग्राम—चौरा नं. 1 (164) पटवारी हल्का नं. 28 सथिनी (शाहपुर)

तहसील—सिरमौर, जिला—रीवा

क्र.	नाम पट्टेदार वल्दियत, जाति पता एवं कैफियत	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.में)	अर्जित रकवा (हे.में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बनवारी प्रसाद वगैरह पता सा0 देह	10/1	1.613	0.171	
2.	नागेन्द्र बसरहा नं. पा0सा0देह	10/2	1.613		
3.	अम्बिका प्रसाद जगजीवन मोहनलाल पिता हनुमान प्रसाद जा0ब्रा0 पता सा0देह भूस्वामी	11/1	0.490	0.324	
4.	मोहनलाल पिता हनुमानराम जा0ब्रा0 पता निवासी ग्राम भू0स्वामी	11/2	0.247		
5.	जगजीवनराम बशरह नं. पता सा0दे0भू0स्वामी	12/1	0.113	0.101	
6.	अम्बिका प्रसाद बशरह सा0दे0भू0 स्वामी	12/2	0.109		
7.	जगजीवनराम बशरह नं0 8/2	14	0.016	0.014	
8.	राजेन्द्र प्रसाद बशरह नं0 18/3 क	24/1 क	0.413	0.168	
9.	राजकुमार बशरह नं0 18/3 ख	24/1 ख	0.384		
10	अशोक कुमार बशरह नं0 18/3 ग	24/1 ग	0.397		
11	रामायण बशरह नं0 18/7	24/2 क	0.339		
12	राजेश कुमार वगैरह बशरह नं0 22/2/1	24/2 ख	0.855		
13	राजेन्द्र प्रसाद बशरह नं0 18/3 क	27/1	0.158	0.180	
14	राजकुमार बशरह —"—ख	27/2 क	0.081		
15	अशोक कुमार बशरह —"—ग	27/2 ख	0.077		
16	मोहन लाल बशरह 11/2	27/3/1	0.226		
17	छोटेलाल पिता—सूर्यदीन पता—सा0—देह भूमि स्वामी	27/3/2	0.012		
18	छोटेलाल पिता सूर्यदीन,जा0—चमार, पता सा0-देह भूमिस्वामी	27/4	0.081		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	हनुमान बसरह नं. 28	29	0.174	0.006	
20.	जगजीवन लाल बशरह नं0 8/2	30/1	**0.194**	**0.144**	
21.	मोहन लाल बशरह नं0 11/2	30/2	**0.194**		
22.	अम्बिका प्रसाद बशरह नं0 7/2	30/3	**0.194**		
23	राजेन्द्र प्रसाद बशरह नं0 18/3 क	34/1 क	**0.057**	**0.165**	
.24	राजकुमार बशरह नं 18/3 ख	34/1 ख	**0.121**		
.25.	अशोक कुमार बशरह नं0 18/3 ग	34/1 ग	**0.129**		
26.	रामायण बशरह नं0 18/7	34/2 क	**0.150**		
27.	राजेश कुमार वगैरह बशरह नं0 22/2/1	34/2 ख	**0.161**		
28.	हनुमान बशरह नं0 28	34/3	**0.307**		
29.	अम्बिका प्रसाद बशरह नं0 7/2	34/4	**0.210**		
30.	आदित्यनाथ तनय–रामदेव ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व	34/5	**0.097**		
31.	अम्बिका प्रसाद बसरह नं. 7/2	37	**0.318**	**0.006**	
32.	राजेश कुमार वगै0 बशरह नं0 22/2/1	38	**0.352**	**0.118**	
33.	राजेश कुमार वगै0 बशरह नं0 22/2/1	39	**0.324**	**0.03**	
34.	राजेश कुमार वगै0 बशरह नं0 22/2/1	40	**0.364**	**0.070**	
35.	राजेश कुमार वगै0 बशरह नं0 22/2/1	41	**0.316**	**0.006**	
		35 किता	**10.401**	**1.593**	

क्र. 577-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—चौरा (3) (163)

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.451 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
28	0.125
29	0.048
30	0.312
48	0.035
49	0.024
50	0.056
51	0.070
52	0.005
54	0.112
55	0.102
87	0.019
97	0.178
102	0.166
103	0.152
128	0.080
129	0.072
130	0.056
131	0.144
133	0.017
134	0.078
135	0.320
191	0.200
211/35	0.080
योग :	2.451

म. प्र. शासन

0 0

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

स्थाई भू–मुआवजा

नहर का नाम – सिरमौर वितरक नहर
ग्राम – चौरा (3) (163) पटवारी हल्का नं. 28 सथिनी (शाहपुर)
तहसील – सिरमौर, जिला – रीवा

क्र.	नाम पट्टेदार वल्दियत, जाति पता एवं कैफियत	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.) में	अर्जित रकवा (हे.) में	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मणि प्रसाद वगै0 बशरह नं0 27/1	28/1	0.660	0.125	
2.	रामसजीवन, वशरह नं0 27/2	28/2	0.126		
3.	बृजरामकुमार, पिता–जगदम्बा प्रसाद,जा0 ब्रा0, पता–सा0–देह, भूमि–स्वामी, भू–राजस्व,	29/1	0.065		
4.	बृहस्पति कुमार, पि0–जगदम्बा, जा0ब्रा0,पता–सा0–देह, भूमि–स्वामी, भू–राजस्व	29/2	0.065		
5.	उमेश कुमार, पिता–रामसुमिरन, जा0–ब्रा0,पता–सा0–देह, भूमि स्वामी, भू–राजस्व	29/3 क	0.061	0.048	
6.	रामसुमिरन, चन्द्रमणि, इन्द्रमणि, पि0–रामसिया, जा0–ब्रा0, पता–सा0–देह,भूमि स्वामी	29/3 ख	0.073		
7.	उपेन्द्र मणि, पि0–हरिहर प्रसाद, जा0–ब्रा0,सा0–देह, भूमि–स्वामी	29/4	0.134		
8.	रामसुमिरन, इन्द्रमणि, चन्द्रमणि	30/1 क	0.222		
9.	भुवनेश्वर प्रसाद, पि0–शिवबालकराम, तनय–रामसिया, जा0–ब्रा0–पता–निवासी, ग्राम भू–स्वामी	30/1 ख 30/1 क निरन्तर	0.222		
10.	बेवा वगै0 वशरह नं0 26/1	30/1/ग	0.598	0.312	
11.	रामाश्रय वशरह नं0 26/2	30/1/घ	0.623		
12.	सीताराम, अजयकिशोर, पि.दीनदयाल, मु.कैलाशबाई, बेवा दीनदयाल, जा0 ब्रा0 पता सा.देह, भूमि स्वामी, भू–राजस्व 3.20	30/2	0.870		
13.	गोकुल प्र0, देवानंदन, गोपिका प्रसाद, शिवरामरतन, पि0–विश्वनाथ 1/2 भाग, भूमि स्वामी, राजकुमार, बाबूलाल, रमेश, पि.भैयालाल,जा.ब्रा. पता–सा.देह, 1/2 भाग भूमिस्वामी	48	0.490	0.035	
14.	गोकुल प्रसाद वगै0 वशरह नं0 48	49	0.093	0.024	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	कौशल प्र.सुरसरी प्र. अंगद, रामटहल, पि.लालूराम, रामशरण पि.सुखदेव, रामबदन भूमिस्वामी, कालू पि.जगदीश, चिंतामणि, पि.स्वामीदीन, जा0 ब्रा0 पता सा.देह, भूमि स्वामी भू–राजस्व	50	**0.202**	**0.056**	
16.	बाला प्रसाद वगै0 वशरह नं0 4	51	**0.680**	**0.070**	
17.	शेषमणि पि.गंगा प्रसाद जा0ब्रा0, पता सा.देह भूमिस्वामी, भू–राजस्व	52	**0.316**	**0.005**	
18.	राजकुमार पि.भैयालाल, जा.ब्रा. सा.देह	54	**0.502**	**0.112**	
19.	गोविंद प्रसाद पि.रामस्वरूप जा.ब्रा. सा.देह, भूमि स्वामी, भू–राजस्व	55/1	**0.324**	**0.102**	
20.	भैयालाल वशरह नं0 32/1	55/2	**0.324**		
21.	श्यामलाल पि.रामकरण, जा.तेली, पता सा.देह भूमि स्वामी	87/1	**0.109**	**0.019**	
22.	छोटेलाल पि.बृजकिशोर जा.ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	87/2	**0.125**		
23.	रामरूद्ध पि.द्वारिका प्र. पता सा.देह, भूमि स्वामी,	97/1	**0.413**	**0.178**	
24.	रामशील पि.द्वारिका प्र. पता सा.देह, भूमिस्वामी	97/2	**0.295**		
25.	अशोक कुमार पि.लोकमन जा.ब्रा. पता सा.देह, भूमिस्वामी भू–राजस्व 18.25	102	**0.971**	**0.166**	
26.	अंगद, मुनेश्वर, कन्हई, पि.बृजनंदन, 1/3 भाग भूमिस्वामी, राजेन्द्र,नारेन्द्र, लवकुश, अवधेश प्रसाद पि.नंदकिशोर, जुगुलकिशोर,पि.रामसुंदर, 1/3 भाग भूमिस्वामी, राधेश्याम पि.सुखदेव जा. ब्रा. पता सा.देह 1/3 भाग भूमिस्वामी भू–राजस्व.	103	**0.866**	**0.0.152**	
27.		128	**0.453**	**0.080**	
28.	अशोक कुमार वशरह नं0 102	129	**0.551**	**0.072**	
29.	मु.सान्ती बेवा–नंदकुमार, चंद्रभान प्र. पि.नंद कुमार जा.ब्रा.	130	**0.275**	**0.056**	
30.	कामता पि.बंशी, जा.तेली, पता सा.देह, भूस्वामी, भू–राजस्व	131/1	**0.267**	**0.144**	
31.	कामता वशरह नं0 131/1	133	**0.789**	**0.017**	
32.	श्रीसिंह वगै0 वशरह नं0 124/1	134	**0.636**	**0.078**	
33.	श्रीसिंह वगै0 वशरह नं0 124/1	135	**3.504**	**0.320**	
34.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	बाल्मीक वगै0 वशरह नं0 98/1	191/1/1	**0.194**		
36.	राममिलन वशरह नं0 98/3	191/1/2	**0.040**		
37.	सुमेश्वर वशरह नं0 98/2 क	191/2/क/1	**0.123**		
38.	धिरकजुआ वशरह नं0 98/2 ख	191/2/क/2	**0.123**		
39.	बाल्मीक पि.शिवप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी,	191/2/ग	**0.032**		
40.	रामगिलन वशरह नं0 98/3	191/3/क	**0.049**	**0.200**	
41.	मुनेश्वर प्र. रामनिहोर जा.तेली, पता सा.देह भूमिस्वामी,	191/3/ग/1	**0.016**		
42.	धिरजुआ वशरह नं0 98/2 ख	191/3/ग/2	**0.016**		
43.	श्यामलाल वशरह नं0 87/1	191/4/क	**0.190**		
44.	बाल्मीक वशरह नं0 191/2/ग	191/4/ग	**0.024**		
45.	शोमेश्वर पि.रामनिहोर जा.तेली पता सा.देह भूमिस्वामी, भू–राजस्व	191/5	**0.159**		
46.	श्रीसिंह वगै0 वशरह नं0 124/1	211/135	**0.174**		
		45 किता	**16.918**	**2.451**	
	म0प्र0शासकीय				
1	शासकीय	191/1	**0.004**		
2		191/2/1	**0.004**		
3		121/2/ख	**0.004**		
4		191/3/1	**0.004**		
5		191/3/ख	**0.004**		
6		191/4/1	**0.004**		
7		191/4/ख	**0.004**		
		7 किता योग :–	**0.028**		
		52 किता महायोग :–	**16.946**	**2.451**	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 3440-भू-अर्जन-2011-**संशोधन-पत्र.**—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के अंतर्गत ग्राम रूपाखेड़ा, तहसील बदनावर, जिला धार की धारा 6 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल एवं संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 1932-33 पर दिनांक 6 अगस्त 2010 को तथा दो हिन्दी समाचार-पत्र चौथा संसार में दिनांक 6 अगस्त 2010 एवं प्रभातकिरण में दिनांक 8 अगस्त 2010 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है :—

प्रकाशन हुआ जो त्रुटिपूर्ण है		प्रकाशन होना था, जो पढ़ा जावे	
सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
227	0.180	226	0.180

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

धार, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 40-भू-अर्जन-मान जोबट-2011 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—तालनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.186 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
225/16	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जोबट सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान/जोबट परियोजना, धार, जिला धार तथा कार्यपालन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16, कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,,
ब्रजमोहन शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 656-भू-अर्जन-2011—**संशोधन.**—तहसील बड़वाह, जिला खरगोन के ग्राम नगावां की अर्जनीय आबादी भूमि उस पर स्थित परिसंपत्तियां तथा निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का म. प्र. राजपत्र, भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 734 पर दिनांक 11 मार्च 2011 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन पढ़ा जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रकाशन	संशोधित प्रकाशन
(1)	(2)
भू-खण्ड क्रमांक 76	भू-खण्ड क्रमांक 76
क्षेत्रफल 0.063 हे.	क्षेत्रफल 0.073 हे.

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 179-भू-अर्जन-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—इन्दौर
(ग) नगर/ग्राम—राऊ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.501 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
477/1पैकी	0.364
541	0.097
539पैकी	0.020
539पैकी	0.020
योग :	0.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नई बड़ी रेल्वे लाईन इन्दौर-दाहोद बरास्ता (झाबुआ-धार-पीथमपुर) परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 683-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—पड़रा (ए.जी. कालेज के समीप एवं विन्ध्य बिहार कालोनी, रीवा से लगी हुई).
(घ) क्षेत्रफल —6.522 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
363	0.065
364	0.053
366	0.401
379/1	0.065
379/2	0.061
412	0.089
413	0.097
414	0.057
415	0.121
416	0.057
417	0.089
418	0.053
419	0.142
420	0.251
421/1	0.207
421/2	0.206
422/1	0.035
422/5	0.005
422/6	0.019
422/7	0.022
423/1	0.172
423/2	0.049
423/2/1	0.016
423/2क	0.007
423/3	0.016
423/4	0.016
423/6	0.016
423/8	0.015
424	0.138

(1)	(2)
425/1	0.008
426/3	0.060
428	0.121
429/2	0.024
423/3	0.045
429/4	0.028
430/1	0.047
430/2	0.031
430/2क	0.016
431/1	0.154
431/2	0.142
432/1	0.006
447	0.109
478	0.012
479	0.257
499	0.024
534/1	0.110
544/1, 545	0.443
546, 547	
561/1/1	0.008
561/1/2	0.024
561/2क	0.061
561/2ख	0.061
561/2ग	0.061
535	0.105
540	0.129
561/2घ	0.061
561/3	0.049
561/4	0.040
561/5	0.052
561/6	0.061
561/7	0.040
561/8	0.020
561/9	0.045
561/9/1	0.012
561/9/2	0.012
561/9क	0.012
561/10	0.016
561/11	0.012
561/12	0.028
561/13	0.040
561/14	0.040
562/1	0.222
562/2	0.223
563/1	0.089
563/2	0.089
567/4	0.007
564	0.081
565	0.073
566/1	0.058
566/1क	0.020
566/1ख	0.027
567/1	0.090
567/2	0.020
567/3	0.005
567/5	0.017
567/6	0.031
568/1	0.099
568/1क	0.012
568/2	0.051
568/3	0.023
568/4	0.011
568/5	0.021
568/6	0.018
568/7	0.016
568/10	0.031
569	0.012
योग :	6.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— एम. पी. हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत रीवा शहर की आवासीय योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 684-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—पड़रा (कृषि महाविद्यालय के पास एवं विन्ध्य बिहार कालोनी से लगी हुई)

(घ) क्षेत्रफल —0.388 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
447/1	0.040
486/1	0.024
489/1	0.028
443/1	0.274
443/2	0.022
योग :	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— एम. पी. हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत आवासीय योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2775-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—गढ़ाकोटा

(ग) ग्राम—बिछिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.11 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
30	0.015
197	0.002
35	0.010
165/1, 165/2, 165/3	0.013
36	0.006
37	0.007
38	0.004
40	0.004
41	0.004
42	0.004
47	0.002
164	0.002
163	0.007
121	0.007
122	0.004
125	0.024
योग :	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन— बिछिया-हरदौट मार्ग में सुनार नदी पर निर्माणाधीन पुल के बिछिया तरफ पहुँच मार्ग में अर्जित की जाने वाली कृषकों की भूमि का भू-अर्जन द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्र.क्र. 34-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) ग्राम—हथौहां

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.574 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
273/1	0.081
275	0.251
276	0.036
718/1	0.145
719	0.061
योग :	0.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—केन पुल अजयगढ़-चंदला मार्ग के किमी. 15/2 पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण—भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—बकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम—सैड़ारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—

(1) निजी भूमि —3.746 हेक्टेयर.

(2) शास. भूमि—निरंक

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
961	0.210
962	0.614
988/849/11	0.716
988/849/20	0.607
988/849/24	0.384
988/849/30	0.405
988/849/31	0.405
988/849/32/2	0.405
योग :	3.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—खिरियां बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.